

सेवा में

माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद कन्नौज।

विषय:- वर्षित गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 में प्रतिकूल टिप्पणी को हटाने एवं वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में *Overall assessment* में *Good* की प्रविष्टि को उच्चीकृत करनें के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि वर्ष 2021–2022 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महादेय द्वारा *Overall assessment* में *Good* की प्रविष्टि देते हुए कुछ टिप्पणी अंकित की गयी है। जिसके सम्बन्ध में मेरा प्रतिवेदन निम्नवत है:-

Sr.	Remark
1	All Statement (Naksha) are not signed and verified by clerks.

इस सम्बन्ध में विनम्र निवेदन है कि लिपिकगण की त्रुटि से सभी नक्शों में तैयारकर्ता व जांचकर्ता के हस्ताक्षर छूट गये हैं। भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

2	Officer has claimed 08 days exemption for court and copying section inspection in calcuation of outturn statement while on the other hand 80 units have been claimed for court office and copying office inspection. In new unit system exemption of days is not permitted.
---	---

इस सम्बन्ध में विनम्र निवेदन है कि न्यायालय के त्रैमासिक निरीक्षण में प्रत्येक त्रैमास के हिसाब से 04 *Non-working days* में जानकारी के अभाव में मासिक विवरण पत्र में भेजे जा चुके थे जिसमें कोई टिप्पणी प्रशासनिक कार्यालय द्वारा नहीं की गयी थी। इस कारण सेल्फ विवरण में *Non-working days* जोड़ दिये गये थे। भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

3	In her statement she stated 209 working days while 243 days inchargechip has been shown for another court. How it is possible when total working days are 209 and officer shows for 243 days inchargechip of another court and claimed $243-209=34$ days units i.e. $34 \times 3 = 102$ units out turn in excess. It should have been made clear by the officer which is necessary also.
---	--

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि पूर्व में कुछ न्यायालय की प्रभारी होने के कारण अलग-अलग न्यायालय प्रभारी का प्रत्येक दिन के हिसाब से कोटा लिय गया था जो कि मासिक नक्सों में पूर्व में भेजा गया था उस पर कोई आपत्ति प्रशासनिक कार्यालय द्वारा नहीं की गयी थी इसलिये सेल्फ स्टेटमेन्ट में सभी न्यायालयों के प्रभारी का यूनिट समेकित कर भेजा गया था। भविष्य में ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।


महोदय से निवेदन है कि मैंने एच0जे0एस0 के रूप में जनपद कन्नौज में कार्यभार दिनांक 27.08.2019 को ग्रहण किया था, जानकारी के अभाव में प्रत्येक न्यायालय का अलग-अलग प्रभारी के रूप में त्रुटिवश कोटा क्लेम किया गया जो मानवीय त्रुटि है मेरे द्वारा जानबूझकर ऐसी त्रुटि नहीं की गयी। यदि प्रभारी के रूप में लिये गये यूनिट को घटा भी दिया जाये तो भी मेरा कोटा मानक के अनुरूप है, फिर भी यदि माननीय महोदय त्रुटि पाते हैं तो माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि मेरी अल्प सेवाकाल को दृष्टिगत रखते हुए उदार दृष्टि अपनाते हुए क्षमा करनें की कृपा करें।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 में तत्कालीन जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा की गयी टिप्पणी को हटाने की कृपा करें।

माननीय महोदय से यह भी निवम्र निवेदन है कि वर्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021–2022 में *Overall assessment* में *Good* की प्रविष्टि को उच्चीकृत करनें की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

आदर सहित।

भवदीया,


(गीता सिंह) ०२.३.२२
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पाक्सो एकट,
कन्नौज।